

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10840/3497

दिनांक :- 28-6-18

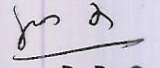
कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री पूजा कुमावत [लिंक न. 10840] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, सीकर - [22384] को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 12/11/2018 से 22/11/2018 तक 11 दिवस

कुल 11 दिवस

उक्त कुल 11 दिवस का असाधारण अवकाश (अवैतनिक) का इन्द्राज श्री/श्रीमती / सुश्री पूजा कुमावत की सेव पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे।


(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 10840 / 3497

दिनांक :- 28-6-18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, सीकर
2. कोषाधिकारी सीकर
3. श्री/श्रीमती / सुश्री पूजा कुमावत [10840] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, सीकर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)